



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2013/DA/01/2014/209

दिनांक: 20/05/2017

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध समिति से पत्रांक 011/2017/उ.स.प./03/153 दिनांक 19.05.2017 के माध्यम से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर श्री संजीव कुमार (सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र झा) को पी-एच.डी. से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

उक्त अवधि में श्री संजीव कुमार का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। दो साल की अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनकी पी-एच.डी. उपाधि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भविष्य में उन्हें विश्वविद्यालय में किसी भी पद के आवेदन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)

20/05/17

प्रति:

श्री संजीव कुमार
सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र झा
ग्राम- रघुनाथ पुरबेला, पोस्ट- चकहाजी
जिला-समस्तीपुर-848115 (बिहार)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. कुलानुशासक कार्यालय।
4. विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग।
5. वित्त अधिकारी कार्यालय।
6. परीक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. केंद्रीय पुस्तकालय।
8. अकादमिक विभाग।
9. सुरक्षा अधिकारी।
10. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. संबंधित फाइल।

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India
वेब साइट/Website : www.hindivishwa.org